

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर




क्रमांक:- मुसप्र/2022/117

दिनांक : 21/5/22

आदेश


पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2022/1142 दिनांक 03.03.2022 के द्वारा जोधपुर चौपाटी में निर्मित 22 दुकानें एवं 10 कियोस्क का निस्तारण खुली नीलामी से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, को तुरन्त प्रभाव से स्थगित किया जाता है।

उक्त आदेश को आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत-मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
8. आवासीय अभियन्ता खण्ड-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक